

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुधाटे)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख)के अंतर्गत

परमिशन वाद सं० 117 वर्ष 2024

आवेदक-गुहीराम महतो

केता-फुटी देवी वर्ग०

ग्राम-सिंहपुर

ग्राम- डुमरकुदर.

थाना-कसमार

जिला-बोकारो

थाना- कसमार

जिला-बोकारो

आदेश की क०सं०
तारीख
01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर की
कार्रवाई के बा
टिप्पणी तारीख
03

35/11/24

आदेश

यह वाद आवेदक-गुहीराम महतो, पिता-स्व० पुसा महतो, ग्राम-सिंहपुर, थाना-कसमार, जिला-बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
चोली	138	35	271	0.90 ए०	0.30 ए०	खेत

को वो आवश्यक कार्य हेतु मो 2,00,000/- (दो लाख) रुपये में केता-1.फुटी देवी पति-सतोंष महतो ग्राम-बगदा 2.संगीता देवी पति उपेन्द्र महतो ग्राम-डुमरकुदर, थाना- कसमार, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यलय के पत्रांक 743/रा०, दिनांक 27.06.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी कसमार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी कसमार के पत्रांक-591, दिनांक-25.09.2024 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता एवं केता दोनों कुर्मी(महतो) जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं केता दोनों एक ही थाना एवं जिला-बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में रामधन महतो के नाम से दर्ज है तथा पंजी-11 के पृष्ठ सं०-47, भोलूम 1 में, विक्रता के दादा के नाम से जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष-2023-23 तक निर्गत है। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान है।
03. खतियानधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध दादा का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अंतर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा में है।
04. प्रस्तावित भूमि गैरमजूरुवा, भूदान, सैरात, वन भूमि, अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर है। उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन सर्वे खतियान में रामधन महतो के नाम से दर्ज है तथा पंजी-11 के पृष्ठ सं०-47, भोलूम 1 में, विक्रता के दादा के नाम से जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष-2023-23 तक निर्गत है। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

केता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. बिक्रेता- खतियान की छायाप्रति है, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. केता- आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधारित कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी कसमार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिकेता एवं केता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिकेता एवं केता दोनों एक ही थाना एवं जिला का निवासी हैं। आवेदित भूमि बिकेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियान के आधार पर हासिल है जिसे वे आश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक- गुहीराम महतो, पिता-स्व० पुसा महतो, ग्राम-सिंहपुर, थाना- कसमार, जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि:-

मौजा	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द० सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
चोली 138	35	271	0.90 ए०	0.30 ए०	धुरेन्द्र नाथ महतो	रास्ता	रास्ता	जगदम्बा महतो वर्ग ०
कुल			30 डी० (तीस डिसमिल जमीन मात्र)					

मो० 2,00,000 /- (दो लाख) रूपय या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से केता- 1. फुटी देवी पति-सतोंष महतो ग्राम-बगदा 2. संगीता देवी पति उपेन्द्र महतो ग्राम-डुमरकुदर, थाना- कसमार, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावे।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।